FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग(डीग)

तारीख हुक्म	पटवारी, पटवार मंडल [illegible] बनाम राजस्थान सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इजलास संख्या:- 57/25 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GCMS No- 2025/334	
	किस्म प्रार्थना पत्रः– अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.
26.11.2025	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पटवारी पटवार मंडल कैरम्पाय द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (भू.अ.) डीग की रिपोर्ट क्रमांक/रा.क./2025/3400 दि. 26.11.25 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी, पटवार मंडल कैरम्पाय के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार .... की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल कैरम्पाय ने मौखिक निवेदन किया है कि वाकै ग्राम जारोलीकदीम स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 63 खसरा नं0 238/0.14 हे0 .... के काश्तकार नम्रता चौधरी ~~पुत्री~~ चौधरी रामवीरसिंह हिस्सा 1/120 जाति जाट निवासी जारोलीकदीम खातेदार राहिन हिस्सा (1/120) 1/70 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कौरेर के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कौरेर दुरूस्त किया जावे। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार डीग की स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है। **आदेश** अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया वाकै ग्राम जारोलीकदीम स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 63 खसरा नं0 238/0.14 हे0 .... के काश्तकार नम्रता चौधरी चौधरी पुत्री रामवीरसिंह हिस्सा 1/120 जाति जाट निवासी जारोलीकदीम खातेदार राहिन हिस्सा कौरेर (1/70) .... बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कौरेर .... के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा .... दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार डीग को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को न्यायालय हाजा में सुनाया गया। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी डीग (जिला डीग)	